Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 7, Issue - 8, August - 2024

DOIs:10.2018/SS/202408002 --:-- Research Paper / Article / Review

महिलाओं के सशक्तिकरण में संचार तकनीकी एवं भारतीय शिक्षा नीति की भूमिका: एक विशेष अध्ययन

डॉ. चंदना सुबा
सहायक आचार्य, विधि और शासन विभाग, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय , गया, बिहार
Email - chanada111719@gmail.com

सारांश :

"नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं है, अपितु एक शक्ति भी है । उसका नारीत्व मां की ममता के रूप में छलकता है। ऐसी नारी का सम्मान एवं गौरव संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित एवं सुरक्षित है।"

- न्यायमूर्ति बी के सोमशेखर[1]

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे विश्व पटल पर कई योजनाओं एवं परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विशेष तथ्य यह है कि विश्व स्तर पर महिलाओं से संबंधित संरक्षण हेतु विधान का निर्माण किया गया है। उनके कार्यस्थल विभेद, शिक्षा व्यवस्था में पहुंच व भागीदारी, आर्थिक स्थिति एवं अन्य जीवन के सुगम बनाने के साधन एवं संसाधन इत्यादि के विकास में संचार तकनीकी के योगदान का मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से इस तकनीकी द्वारा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में योगदान दिया गया है। और इस प्रणाली द्वारा कौन-कौन से प्रमुख मूल्य हैं जो कि सीधे प्रभावित कर योगदान दे रहे हैं। इसका विशेष अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल विभेद, शिक्षा व्यवस्था, संचार तकनीकी, प्रमुख मूल्य।

1. प्रस्तावना :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"

इस श्लोक के माध्यम से भारतीय परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है कि नारी पूजनीय है और वहां पर देवताओं का वास होता है जहां पर नारी की पूजा की जाती है। वर्तमान युग में जिसे की सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है उसमें महिलाओं की शिक्षा आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति जैसे मूल्यों के द्वारा हम एक अवलोकन करते हैं की महिला कितनी सशक्त हुई पूर्व की समय की अपेक्षा जिस समय वह केवल पूजनीय होती थी और अब वह कितनी शिक्षित कितनी आर्थिक स्थिति में है या उसकी सामाजिक स्थिति क्या है उसने कौन-कौन से आयाम प्राप्त किए या कौन-कौन से कीर्तिमान स्थापित किए इत्यादि का अवलोकन ही इस बात का हमें उत्तर देता है कि वास्तव में सशक्तिकरण की मनसा कहां तक सफल हुई या अभी भी कुछ प्रयास किया जाना अतिरिक्त है इसी चरण में यह प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि यदि वर्तमान समय सूचना तकनीकी का युग है तो इस युग में जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं के सशक्तिकरण में इसका क्या योगदान है इस सूचना तकनीकी का योगदान उनके शिक्षा के क्षेत्र में क्या है उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के परिपेक्ष में क्या है की चर्चा हम आगे निम्न रूप में कर रहे हैं-

2. परिभाषाएं :

अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल- "महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती हैं, जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएँ अपने आपको निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है"

डॉ. दिग्विजय सिंह के अनुसार- "महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है।" **डॉ. अरूण कुमार सिंह के अनुसार**- "महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें।"

लीना मेहदेले के अनुसार: ''सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इनमें प्रमुख हैं -

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कामों से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
4. निर्णय का अधिकार।
5. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के साथ बराबरी का हक।
6. ऐसी शिक्षा जो महिला को उपरोक्त स्थितियों के लिए तैयार कर सके"

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 2 (एन) के अनुसार पदावली **"महिला"** से अभिप्राय है प्रत्यक्षिता या दूसरी एजेंसी द्वारा प्रतिष्ठानों में मजदूरी पर नियोजित महिलाएं।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 10 के अनुसार शब्दावली **"स्त्री"** शब्द किसी भी आयु कि मानव नारी का द्योतक है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 (35) के अनुसार, महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया गया है ताकि महिला और पुरुष वर्ग में इस संबंध में कोई विभेद न किया जा सके। अनुच्छेद 39 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार हो। उनके स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग ना हो। अनुच्छेद 43 के अनुसार उद्योगों, उपक्रमों आदि में कर्मकार के भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधायन या अन्य रीति से राज्य कदम उठाएगा।

दत्तात्रेय बनाम स्टेट[1], इस वाद में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने को अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं माना गया है। और सेवाओं में 30% तक आरक्षण तथा उनके लाभ के लिए विशेष उपबंध करना लोकहित में है। इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता। केवल लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में विभेद नहीं किया जाएगा।

3. महिलाओं की शिक्षा पर सूचना तकनीकी एवं भारतीय शिक्षा नीति का प्रभाव :

सामाजिक-सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों से, लड़कियों की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान लड़कों की तुलना में अपेक्षाकृत देर से स्थापित किए गए। पहला सह-शैक्षिक पॉलिटेक्निक 1937 में स्थापित किया गया था। 1961 में राष्ट्रीय महिला परिषद की सिफारिश के बाद दिल्ली और बैंगलोर में महिलाओं के लिए दो पॉलिटेक्निक संस्थान शुरू किए गए थे। ऐसी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य एक सामाजिक कल्याण गतिविधि थी, लेकिन निश्चित रूप से एक विकास गतिविधि भी है। भारत में महिला शिक्षा को सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सक्षम बनाने के उद्देश्य से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालना भी है।

महिला शिक्षा 1937 की रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया गया कि महिलाएं निश्चित रूप से देश की वृद्धि और विकास में योगदान दे सकती हैं। अत: महिलाओं के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु उपयुक्त उपाय करना आवश्यक है। हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया, लेकिन आज़ादी के बाद ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना करके महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कदम उठाए, जिसने वित्तीय वर्ष 1956-1957 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल चार फीसदी लड़कियां ही शिक्षा प्राप्त कर रही थीं. इस रिपोर्ट में महिलाओं के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना के साथ महिलाओं की तकनीकी शिक्षा पर मामूली ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की सिफारिश पर इसे महिला कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। 1951-1981 के दौरान, महिलाओं के बीच साक्षरता का प्रतिशत चार प्रतिशत से बढ़कर 7.93 प्रतिशत और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के अनुसार 24.82 प्रतिशत तक बढ़ गया। 1991 तक यह बढ़कर 39.42 प्रतिशत (आजकल 1991) हो गया। सामाजिक-सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों से, लड़कियों की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान लड़कों की तुलना में अपेक्षाकृत देर से स्थापित किए गए। इसलिए 1951-1981 के दौरान, महिलाओं के बीच साक्षरता का प्रतिशत चार प्रतिशत से बढ़कर 7.93 प्रतिशत और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के अनुसार 24.82 प्रतिशत तक बढ़ गया। 1991 तक यह बढ़कर 39.42 प्रतिशत (आजकल 1991) हो गया। सामाजिक-सांस्कृतिक

[1] ए आई आर 1953 बाम्बे 311

और सामाजिक-आर्थिक कारणों से, लड़कियों की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान लड़कों की तुलना में अपेक्षाकृत देर से स्थापित किए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में महिलाओं की स्थिति के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर थी। नीति निर्माताओं ने यह भी महसूस किया कि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महिलाओं का भी बराबर का योगदान होना चाहिए। इसे संविधान ने भी मान्यता दी है यह भी अनुभव किया गया है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जैसे बीए, एमए आदि पेशेवर दुनिया में बहुत कम प्रासंगिक हैं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाते हैं। अत: आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिलाओं में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर की समानता के मुद्दे को संबोधित किया। व्यावसायिक और पेशेवर पाठ्यक्रमों में लिंग- रूढ़िवादिता को खत्म करने और गैर-पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गैर-भेदभाव की नीति का सख्ती से पालन किया जाता है।

2001 में बनाई गई राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का उद्देश्य महिलाओं और महिला सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन लाना था। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यवसाय, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यालय आदि तक समान पहुंच प्रदान करना था। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की अधिक भागीदारी लाना था। इनमें लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने के उपाय और यह भी सुनिश्चित करना शामिल है कि वैज्ञानिक और तकनीकी इनपुट वाली विकास परियोजनाओं में महिलाओं को भी शामिल किया जाए।

वैज्ञानिक सोच और जागरूकता विकसित करने के प्रयास भी तेज किये गये। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विशेष कौशल वाले क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए। महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के प्रयास भी किए गए। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। हालाँकि, भारत की उत्पादकता अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। देश की समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर संरचनात्मक बदलाव के लिए श्रम शक्ति के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कौशल विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरा है और पिछले चार वर्षों में कई कौशल प्रशिक्षण पहल शुरू की गई हैं।

भारत में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यबल का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत है जबकि कोरिया (96 प्रतिशत), जापान (80 प्रतिशत), जर्मनी (75 प्रतिशत), यूके (68 प्रतिशत) आदि में, उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण की अनुपलब्धता के कारण, अभ्यर्थियों को नौकरी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नई शिक्षा नीति 2020 जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देती है जहां तक मैंने इस नीति को समझा है तो नई शिक्षा नीति ने उन समस्याओं और बाधाओं की तरफ ध्यान दिया है, जो बालिकाओं की शिक्षा के रास्ते में बाधा बनती है। अनेक स्तर पर इसमें बालिकाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा की शुरुआत होती है विद्यालय स्तर से। इस नीति में दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा तथा ऐसे प्रावधान और योजनाएं जो छात्राओं को विद्यालय से जोड़े रखते हैं उन्हें अवसर देते हैं।

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान-

1. बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी।
2. जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है, ग्रामीण अंचलों,पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों, वहां निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी ।

एकेडमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) की भी स्थापना की जाने का प्रावधान है जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगा और विद्यार्थी उस क्रेडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। वैसे यह सुविधाएं सभी विद्यार्थियों के लिए हैं किंतु महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी होगा क्योंकि विवाह, पारिवारिक कारण व अन्य कारणों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है इस प्रावधान से उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे अनेक कारणों की वजह से उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो कम हो जाती थी उनको दूर करने की दिशा में यह बदलाव विशेष रूप से लाभकारी होगा।

4. महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सूचना तकनीकी का योगदान :

आर्थिक सशक्तिकरण अत्यावश्यक है, विशेष रूप से वंचितों और महिलाओं के लिए, वास्तव में, यह लोगों के लिए अपनी क्षमता का एहसास करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह लोगों को उनकी दैनिक और सामान्य उत्तरजीविता आवश्यकताओं से परे अन्वेषण करने की अनुमति देता है जिससे वे अपने जीवन जीने के तरीके के मामले में अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं।

जब वास्तविक क्षमता का एहसास होता है, तो संपत्ति और क्षमताओं में सुधार होता है, और पसंद और कार्रवाई की स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से आती है। आर्थिक सशक्तिकरण इन पहलुओं को लक्षित करता है जो लोगों को उनकी कमजोर स्थिति से मुक्त करने, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में मदद करता है।

ग्रामीण महिलाओं को "न्यू इंडिया" के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन का पथप्रदर्शक कहा जाता है। भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है, 80% ग्रामीण महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिला कार्यबल को सशक्त बनाने और मुख्यधारा में लाने से देश की आर्थिक वृद्धि की दिशा में एक आदर्श बदलाव आ सकता है। यह खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाएगा और गरीबी और भूख को कम करेगा, जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक जीत की रणनीति होगी।

अभूतपूर्व कार्य में लगे कुछ प्रसिद्ध फाउंडेशन महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं। कई भारतीय महिलाओं ने वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया है और उनके नवाचारों ने विकास में और मदद की है। शोध से पता चलता है कि महिलाओं द्वारा शुरू किए गए उद्यम अधिक टिकाऊ होते हैं। भारत के विकास पथ से पता चलता है कि महिला उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि आंकड़े बढ़ते रहे, तो अर्थव्यवस्था में उनका योगदान उल्लेखनीय होगा। आर्थिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतर की समीक्षा करने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को साकार करने के समाधान के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ एक साथ आए।

उच्च-स्तरीय पैनल (एचएलपी) ने 2017 में महासचिव को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें महिलाओं के काम के चार प्रमुख क्षेत्रों को मान्यता दी गई:

1 औपचारिक क्षेत्र; 2 अनौपचारिक क्षेत्र; 3 महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम; 4 कृषि

इसके अलावा, रिपोर्ट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सात चालकों की पहचान की और महिलाओं की पूर्ण और समान आर्थिक भागीदारी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए ठोस कार्रवाई की, इनमें शामिल हैं:

1 प्रतिकूल मानदंडों पर नज़र रखना और सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना
2 कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और भेदभावपूर्ण कानूनों और विनियमों में सुधार करना
3 अवैतनिक कार्य और देखभाल को पहचानना, कम करना और पुनर्वितरित करना
4 संपत्ति निर्माण-डिजिटल, वित्तीय और संपत्ति
5 व्यवसायिक संस्कृति एवं व्यवहार में परिवर्तन
6 रोजगार और खरीद में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथाओं में सुधार
7 दृश्यता, सामूहिक आवाज और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना

पिछले कुछ दशकों में, कामकाजी महिला पेशेवरों ने अपनी प्रतिभा, समर्पण और उत्साह के साथ बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ काम किया है। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। शोध से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का वर्तमान योगदान 18% है, हालाँकि, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके, भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है।

भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और यूनिकॉर्न समुदाय में भी तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर भी उनमें से केवल 10% में महिला संस्थापक हैं।

समय की मांग है कि महिला उद्यमियों के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से अधिक समर्थन जुटाया जाए और उन्हें उनकी यात्रा शुरू करने में मदद की जाए। सौभाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में महिला उद्यमिता की पूरी प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव देखा गया है, महिला शक्ति बिजनेस लीडर बन गई है।

हालाँकि, महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, भारतीय महिलाओं के लिए घटते आर्थिक अवसरों के कारण भारत में लिंग अंतर 4.3% बढ़ गया है, जो औपचारिक कार्यबल में उनकी भागीदारी में गिरावट का संकेत देता है। अनौपचारिक श्रम बाज़ार में महामारी संकट के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।

5. महिलाओं की सामाजिक स्थिति परिवर्तन में सूचना तकनीकी का उपयोग :

भारतीय समाज में स्त्री एक मौन उपस्थिति थी। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका ने भारतीय संस्कृति की दुनिया में स्त्री को एक बेहद प्रखर उपस्थिति बना दिया है। आज परम्पराओं की जकड़न और पश्चिमीकरण की आंधी के बीच यदि संस्कृति के क्षेत्र में कुछ भी मौलिक हो रहा है तो उसका मौलिक श्रेय महिलाओं को जाता है। देश भर में फैली विविध कला संस्कृति की परम्पराओं को गहराई से परखने और उस पर आलोचनात्मक विमर्श करने में कपिला वात्स्यायन, महाश्वेता देवी, अरुंधति राय , कृष्णा सोबती आदि महिलाओं की भूमिका एक समाजशास्त्री की भूमिका है , जिन्होंने अनुसूचित जातियों (आदिवासियों) , दलितो , महिलाओं आदि के ज्वलन्त प्रश्नों का हल खोजने के लिए साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से आन्दोलनों को निष्कर्ष तक पहुँचाया।

6. अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी द्वारा पहुंच-

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं की भूमिका में आने वाले अभिनव परिवर्तनों और संवैधानिक मजबूती को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब भारतीय महिलाओं को " इण्डिया शाइनिंग वूमैन ' के रूप में देखना होगा। भारत की चमक बढ़ाती ये महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। निर्विवाद रूप से यह तथ्य स्पष्ट है कि 80 के दशक के बाद महिलाओं की भूमिका को सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नया आयाम दिया है। मानवशास्त्रीय दृष्टि से यदि महिलाओं और पुरूषों की भूमिका का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो जैकब्स तथा स्टर्न यह मानते है कि मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों के आधार पर महिलाओं और पुरूषों की भूमिकाओं को तुलनात्मक रूप से विभाजित कर उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है।

7. उपसंहार :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित है गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार की गारंटी देता है हम महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकारों पर विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी की गई है महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता **उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश** ए आई आर 1992 एस सी 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन एवं पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्रदान किए हैं **श्रीमती जयलक्ष्मी शर्मा बनाम श्रीमती द्रोपती देवी** एआईआर 2010 दिल्ली 37 के मामले में निर्धारित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में किए गए संशोधन के पश्चात मृतक की संपदा को एकमात्र दयाद के रूप में प्राप्त करने वाली स्त्री संपदा की निरपेक्ष स्वामी हो जाती है। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। **विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान** 1997 एस एस सी 3011 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी दक्षता एवं रचनात्मकता का परिचय दे रही है फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डेकोरेटर आर्किटेक्चर एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन में फ्रीलांसर के तौर पर महिलाएं अब घर बैठे कार्य कर रही हैं क्योंकि टेलीविजन इंटरनेट वीडियो कांफ्रेंसिंग और आधुनिकतम संचार संसाधनों ने उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बाजार घर पर ही उपलब्ध करा दिया है विशेष रूप से ग्राफिक डिजाइनर के रूप में महिलाओं को करियर के अनेक अवसर उपलब्ध करा दिए हैं विज्ञापन अंजेसियो राष्ट्रीय समाचार पत्रों जनसंपर्क विभाग तथा फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में ग्राफिक डिजाइन की बहुत आवश्यकता होती है तथा इसके अतिरिक्त साउंड कंटेंट डेवलपर आदि के रूप में महिलाएं अच्छा धनोपार्जन कर रही है। फिल्म एनिमेशन के क्षेत्र में उनकी अच्छी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं के उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनके शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में निभा रहा है।

संदर्भ सूची :

पुस्तक-

1. सिंह, इंद्रजीत (2010). श्रमिक विधियां (बिसवां संस्करण) इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
2. उपाध्याय, जय जय राम (2023). भारत का संविधान (दुभाषीय संस्करण) प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी
3. रतन लाल धीरजलाल, (2012). भारतीय दंड संहिता (33 वा संस्करण)
4. बाबेल, बसंती लाल (2013). विधि एवं सामाजिक परिवर्तन (द्वितीय संस्करण) इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन

वेब साइट /मटेरियल-

1. http://cmcldp.org/userfiles/Women%2520Empowerment.pdf
2. https://failwise.co/articles/v/women-education-and-new-education-policy

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं : हिंदुस्तान अख़बार, दैनिक जागरण अखबार, अमर उजाला अखबार, द हिंदू अखबार, प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका, योजना पत्रिका